

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-6221/Admin' G-I' /2019, Allahabad dated 14.05.2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय, गाजीपुर में परामर्शदाता की आबद्धता के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं एवं नियमावली की शर्तोंके अनुरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

- 1- अर्ह व्यक्तियों से आवेदन-पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
- 2- यह प्रयास किया जाएगा कि व्यक्ति गाजीपुर जिले से संबंधित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित है। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
- 3- शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जाएगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जिन आवेदकों के पास सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
- 4- विज्ञापन के आवेदन की अंतिम तिथि के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 5- आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष 05 लोगों की सूची तैयार की जाएगी।
- 6- राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
- 7- परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में माझे उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
- 8- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- 9- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय में संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

दिनांक- 21.05.2019

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

प्रतिलिपि-

- 1- जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2- जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रमुख समाजारपत्रों में।

नोट-

✓ इसकी प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाईट पर भी डाली जाए।

जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

21.5.19
जनपद न्यायाधीश,